भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-108

उत्तर देने की तारीख-27/07/2026

असम में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को बंद किया जाना

†***108. मोहम्मद रकीबुल हुसैन**:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल के वर्षों में असम में कई प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया है अथवा उनका विलय कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने विद्यालय बंद हुए अथवा विलय किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन विद्यालयों के बंद होने से छात्रों के लिए शिक्षा की सुलभता और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) असम में जनता की चिंताओं को दूर करने और निर्बाध माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या स्थानीय समुदायों के लिए विद्यालयों के भावनात्मक और सामाजिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, विद्यालयों के विलय के बाद खाली पड़े विद्यालय भवनों के उपयोग या संरक्षण के लिए सरकार की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री प्रह्लाद जोशी)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“असम में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को बंद किया जाना” के संबंध में माननीय संसद सदस्य मोहम्मद रकीबुल हुसैन द्वारा दिनांक 27.07.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 108 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और बहुसंख्य स्कूल संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग, असम ने सूचित किया है कि राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी स्कूल को आज तक बंद नहीं किया गया है। प्रशासनिक सूझ-बूझ तथा छात्रों और शिक्षकों की शैक्षणिक सुविधा हेतु एक ही परिसर में स्कूलों का विलय कर दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, स्कूल शिक्षा विभाग, असम ने सूचित किया है कि असम शिक्षा (प्रांतीयकरण) अधिनियम, 2017 के सांविधिक प्रावधान के तहत, वर्ष 2021 में, 3805 संख्या में वेंचर्स स्कूलों को प्रांतीयकृत किया गया और "बेस स्कूल (मौजूदा सरकार द्वारा संचालित स्कूल)" में स्थानांतरित कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त, स्कूल शिक्षा विभाग, असम ने सूचित किया है कि कंपोजिट स्कूलों के एनईपी अधिदेश के अनुसरण में, प्रारंभिक स्कूलों को माध्यमिक स्कूलों में समामेलित किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, 133 प्राथमिक स्कूलों को उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में समामेलित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विगत तीन वर्षों (2024-25 से 2026-27) के दौरान, 418 प्रारंभिक स्कूलों को बेस स्कूलों के रूप में अन्य प्रारंभिक स्कूलों के साथ समामेलित/विलय किया गया है।

समामेलन के निम्नलिखित कारण हैं: (i) कम नामांकन का समाधान करना; (ii) प्रभावी प्रशासन और शैक्षणिक सुधार; (iii) शिक्षण स्टाफ की सेवाओं का इष्टतम उपयोग; (iv) शिक्षकों की कमी को कम करना; और (v) ड्रॉपआउट दर को कम करना।

(घ): समग्र शिक्षा के अंतर्गत, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) के आधार पर स्कूल शिक्षा के अवसंरचना सुदृढ़ीकरण तथा शिक्षा तक पहुँच, प्रतिधारण और गुणवत्ता में सुधार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पढ़ाई बीच में छोड़ने के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों अथवा समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाया जाता है। प्रतिधारण सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों की आवश्यकता और स्कूलों में आधारभूत संरचनागत सुविधाओं की आवश्यकता पर भी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उनकी आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर प्रति वर्ष वार्धिक आधार पर निर्धारित किया

जाता है और उनके वार्षिक कार्य योजना और बजट (ए डब्ल्यू पी एंड बी) में दर्शाया जाता है। समग्र शिक्षा के तहत मध्यवर्तनों में शामिल हैं:

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्ताव भेजे जाने पर संयुक्त स्कूलों सहित स्कूलों की स्थापना और उन्नयन;

(ii) अतिरिक्त कक्षाओं, विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, आईसीटी और स्मार्ट कक्षाओं सहित स्कूल की आधारभूत संरचना को मजबूत करना;

(iii) पात्र क्षेत्रों में परिवहन और मार्गरक्षण सुविधाओं का प्रावधान;

(iv) निपुण भारत के तहत बालवाटिकाओं, मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान हेतु सहायता;

(v) मानदंडों के अनुसार शिक्षक भर्ती सहायता, शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण;

(vi) सुधारात्मक शिक्षण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा (सी डब्ल्यू एस एन), मार्गदर्शन और परामर्श;

(vii) व्यावसायिक शिक्षा, करियर मार्गदर्शन और किशोर शिक्षा; तथा

(viii) शैक्षणिक सहायता और निगरानी के माध्यम से पारगमन, प्रतिधारण और अधिगम के परिणामों में सुधार हेतु पहल।

विगत पांच वर्षों में असम को समग्र शिक्षा के अंतर्गत जारी किए गए केंद्रीय निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	**केंद्रीय रिलीज (रू लाख में)**
2021-22	156156.4
2022-23	208086.22
2023-24	181046.93
2024-25	202677.34
2025-26	293009.36

इसके अतिरिक्त, स्कूल शिक्षा विभाग, असम ने सूचित किया है कि राज्य के दूरदराज के चाय बागान क्षेत्रों में हाल में माध्यमिक अनुभागों के साथ 218 चाय बागान मॉडल स्कूल स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में, सरकार ने अपने स्वयं के बजट एवं ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ), पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) निधि के माध्यम से लगभग 368 स्कूलों को माध्यमिक स्कूलों के प्रमुख अवसंरचना में सुधार के लिए 7 करोड़ रुपये से 8 करोड़ रुपये

आवंटित किए थे। प्रमुख अवसंरचना के विकास हेतु 144 अन्य स्कूलों को 3 करोड़ रुपये से लेकर 4 करोड़ रुपये तक की राशि आवंटित की गई थी।

(ड): स्कूल शिक्षा विभाग, असम ने सूचित किया है कि उन्होंने स्कूलों के समामेलन/विलय से उत्पन्न खाली, अनुपयुक्त और उपेक्षित भूमि और आधारभूत संरचना के उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, संबंधित जिले के जिला आयुक्त जिला स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर और निर्धारित प्रक्रिया के अधीन, संबंधित सरकारी विभाग/अर्ध-सरकारी संगठन/एनजीओ के साथ एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से ऐसे अप्रयुक्त स्कूल परिसरों/संपत्तियों के उपयोग हेतु अनुमति जारी कर सकते हैं।
